



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-168/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रभात राम पुत्र श्री मल्ला राम खनन पट्टा संख्या 46/2019 ग्राम कडेरा द्वारा ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता
1	श्री प्रभात राम पुत्र श्री मल्ला राम संख्या 132, 133, 134 एवं 135	46/2019	1.1184	कडेरा	ग्रेनाईट	120121 टीपीए (आर.ओ.एम.) (ग्रेनाईट 55161.5 टीपीए एवं रिजेक्ट 64959.5 टीपीए)
2	श्री पारसमल डबरिया पुत्र श्री समर्थ सिंह डबरिया	60/2018	1.0633	काचरिया	ग्रेनाईट	100000 टीपीए
3	श्री मांगी लाल रैगर पुत्र श्री सत्यनारायण रैगर	62/2018	1.7067	कडेरा	ग्रेनाईट	160000 टीपीए
4	श्री खेमचन्द लोढ़ा पुत्र श्री नारायण लाल लोढ़ा	63/2018	2.0491	कडेरा	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	367597 टीपीए
5	श्री आनंद लाल साहू पुत्र श्री छोदू लाल साहू	84/2018	1.0245	कडेरा	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	127737 टीपीए


कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 6.9620 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-810495.5 टीपीए, ग्राम कडेरा एवं काचरिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री प्रभात राम पुत्र श्री मल्ला राम खनन पट्टा संख्या 46/2019 ग्राम कडेरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कडेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2022/5937 दिनांक 26.05.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 11/07/2022 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कडेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।


(दीपक तँवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी